अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–प्र०–6 / विविध–103 / 2010– 4683(E) / पटना, दिनांक 12.7.16

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)
पथ निर्माण विभाग
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)
पथ निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)
पथ निर्माण विभाग

विषय :– विभिन्न विभागों / संगठन / उपक्रमों से प्राप्त डिबार करने / डिबार से मुक्त किये गये संवेदको की सूची विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभिन्न विभागो / संगठन / उपक्रमों से प्राप्त डिबार करने / डिबार से मुक्त किये गये संवेदको से संबंधित आदेश की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। सूची निम्न प्रकार है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम, पता एवं निबंधन सं0	विभाग / संगठन / उपक्रमों का नाम	ज्ञापांक / दिनांक जिसके द्वारा संवेदक को डिबार किया गया / डिबार से मुक्त किया गया है।
1	वारिस बिल्डकॉन इण्डिया प्रा०लि०, लखीबाग, मानपुर, गया–823003 (बिहार) निबंधन सं0–पु०नि०नि० 2 / स्था० (नि०)–02 (द्वितीय)–581 / 2013	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना ।	ज्ञापांक–1414 दिनांक–09.04.2016 द्वारा डिबार सूची से मुक्त किया गया।
2	अश्विनी कुमार सिंह, इन्द्रपुरी, बी०एम०पी०–7, कटिहार (बिहार) निबंधन सं0–पु०नि०नि० 2 / स्था० (नि०)–02 (द्वितीय)–387 / 2010–11	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना ।	ज्ञापांक–1417 दिनांक–11.04.2016 द्वारा डिबार सूची से मुक्त किया गया।
3	श्री ओम प्रकाश सिंह, पता–हांसी मलाही, पो०–हांसी केवल, जिला–वैशाली निबंधन सं0–3321 / 2012 श्रेणी–द्वितीय (ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित डिबार सूची में भूलवश संवेदक के निबंधन संख्या–3321 / 2012 श्रेणी–द्वितीय के स्थान पर नि०सं०–1548 / 2009 दर्ज कर दिया गया था)	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–4621 दिनांक–13.04.2016 द्वारा डिबार सूची से मुक्त किया गया।
4	श्री अमरनाथ झा, ग्राम–किशनपुर, जिला–दरभंगा निबंधन सं0–315 / 2009 श्रेणी–प्रथम	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–4622 दिनांक–13.04.2016 द्वारा डिबार सूची से मुक्त किया गया।
5	श्री राजकुमार प्रसाद (मेसर्स रवि कन्सट्रक्शन) अधिवक्ता नगर, गोपालगंज निबंधन सं0–1014 / 2013, श्रेणी–प्रथम	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–4884 दिनांक–21.04.2016 द्वारा डिबार सूची से मुक्त किया गया।
6	श्री नरेश प्रसाद सिंह, ग्राम–गदियाचक, पो०–गंगटा मोड, जिला–मुंगेर निबंधन सं0–55 / 2008, श्रेणी–द्वितीय	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–5739 दिनांक–11.05.2016 द्वारा डिबार सूची से मुक्त किया गया।

7	उज्जैन इंजीकॉन इण्डिया प्रा०लि० वाल्मीकिनगर, पश्चिमी चम्पारण नि०सं०– 752/2013 श्रेणी–प्रथम	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	ज्ञापांक–6236 दिनांक–20.05.2016 द्वारा डिबार सूची से मुक्त किया गया।
8	शिवदानी ई०प्रा०लि०, शैदनगर, लहेरियासराय, दरभंगा ग्राम–ओलीपुर, पो०–ख्वाजेपुर, जिला–गोपालगंज नि०सं०–1150098/2015, श्रेणी–प्रथम	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना ।	ज्ञापांक–5967 दिनांक–16.05.2016 द्वारा डिबार सूची से मुक्त किया गया।
9	मेसर्स भारद्वाज कन्सट्रक्शन, रामनगर, पश्चिमी चम्पारण निबंधन सं0–2nd (Firm) 50 (Building)/2011	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना	ज्ञापांक–815 दिनांक–07.04.2016 द्वारा डिबार सूची से मुक्त किया गया।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

U:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\MANGAL\DRAFT\DEBAR MUKAT LETTER OTHER\DEBAR MUKAT LETTER.DOCX

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

7 सरदार पटेल मार्ग, पटना-15

CIN-U45201BR1975SG001208

JAS-ANZ

ISO:9001:2008
Reg.No.: RQ91/8550

Doc. No:- BRPNNL/HQA/ ..../............................	Dt	Page No..../......

सेवा में

सभी उप मुख्य अभियंता
सभी वरीय परियोजना अभियंता
वरीय योजना अभियंता
वरीय गुण नियंत्रण अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०।

विषय:- संवेदक को डिवार (Debar) से मुक्त करने के संबंध में।

प्रसंग:- निगम का पत्रांक/ज्ञापांक-2773 (अनु0) दिनांक 23.09.2014

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से संवेदक वारिस बिल्डकॉन इण्डिया प्रा0 लि0, लखीबाग, मानपुर, गया-823003 (बिहार) निबंधन सं0-पु0नि0नि02/स्था0 (नि0)-02 (द्वितीय)-581/2013 को मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत गया जिला के शेरघाटी प्रखण्ड स्थित कलन्दरा के निकट यमुने नदी पर पुल का निर्माण एवं गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखण्ड स्थित भुसमुनिया के निकट यमुने नदी पर पुल निर्माण कार्य करने हेतु निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा से अत्यधिक पीछे रहने के कारण उक्त योजना के पूर्ण होने तक अन्य परियोजना के निविदा में भाग लेने से वंचित करने का निर्णय लिया गया था।

उप मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना के पत्रांक 484 (अनु0) दिनांक 09.04.2016 एवं वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल गया के पत्रांक 342 दिनांक 07.04.2016 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण कर दिये जाने के फलस्वरूप **Debar** से मुक्त करते हुए अगली निविदा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन
ह0/-
(रंजन कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक............ पटना, दिनांक ..../2016

प्रतिलिपि:- वारिस बिल्डकॉन इण्डिया प्रा0 लि0, लखीबाग, मानपुर, गया-823003 (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(रंजन कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक...1414 पटना, दिनांक ..09/04/....../2016

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(रंजन कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0

7 सरदार पटेल मार्ग, पटना-15

CIN-U45201BR1975SG001208

JAS-ANZ

ISO:9001:2008
Reg.No.: RQ91/8550

Doc. No:- BRPNNL/HQA/ ..../.....................	Dt	Page No..../......

सेवा में

सभी उप मुख्य अभियंता
सभी वरीय परियोजना अभियंता
वरीय योजना अभियंता
वरीय गुण नियंत्रण अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0।

विषय:- संवेदक को डिवार (Debar) से मुक्त करने के संबंध में।
प्रसंग:- निगम का पत्रांक/ज्ञापांक-3274 (अनु0) दिनांक 29.11.2014

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से संवेदक अश्विनी कुमार सिंह, इन्द्रपुरी, बी0एम0पी0-7, कटिहार (बिहार) निबंधन सं0-पु0नि0नि02/स्था0 (नि0)-02 (द्वितीय)-387/2010-11 को मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत कटिहार जिला के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के प्राणपुर-गोगरा लालगंज के बीच उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण कार्य करने हेतु निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा से अत्यधिक पीछे रहने के कारण उक्त योजना के पूर्ण होने तक अन्य परियोजना के निविदा में भाग लेने से वंचित करने का निर्णय लिया गया था।

उप मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार अंचल, पटना के पत्रांक 65 (अनु0) दिनांक 11.01.2016 एवं वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल कटिहार के पत्रांक 1175 (अनु0) दिनांक 30.12.2015 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण कर दिये जाने के फलस्वरूप Debar से मुक्त करते हुए अगली निविदा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन
ह0/-
(रंजन कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक............ पटना, दिनांक ..../2016

प्रतिलिपि:- अश्विनी कुमार सिंह, इन्द्रपुरी, बी0एम0पी0-7, कटिहार (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(रंजन कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक....1417.... पटना, दिनांक ..11.04...../2016

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(रंजन कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

ग्रा०का०वि०– 14/अ०प्र०–01–45/2016 – 4621 पटना, दिनांक– 13.04.16

विभागीय पत्रांक–8503, दिनांक 30.07.2013 द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया था कि वैसे संवेदक जिनके द्वारा किसी आवंटित कार्य में कार्य समाप्ति की तिथि के बाद भी final completion की शर्तों के अनुसार एकरारनामा राशि का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण नहीं किया गया हो या कार्य छोड दिया गया हो, उनसे कारणपृच्छा की जाय एवं समीक्षोपरान्त दोषी पाये जाने पर उन्हें डिबार करने की अनुशंसा की जाय।

इस संबंध में संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–09, दिनांक 04.01.2016 के द्वारा एकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन के आलोक में संवेदक ओम प्रकाश सिंह, पता–हांसी मलाही, पो०–हांसी केवल, जिला–वैशाली (निबंधन संख्या–1548/2009) को आगे की निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया था। प्रकाशित डिबार सूची में भूलवश संवेदक का निबंधन संख्या–1548/2009 दर्ज कर दिया गया था, जबकि संवेदक का वास्तविक निबंधन संख्या–3321/2012, श्रेणी–द्वितिय है।

इस संदर्भ में **मुख्य अभियंता–3** , ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक **1181** अनु0, दिनांक 18.03.2016, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल **मुजफ्फरपुर** के पत्रांक–293 अनु0, दिनांक–03.03.2016, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल **मुजफ्फरपुर** पश्चिमी के पत्रांक–177 अनु0, दिनांक **18.02.2016 द्वारा** संवेदक ओम प्रकाश सिंह, पता–हांसी मलाही, पो0–हांसी केवल, जिला–वैशाली (निबंधन संख्या–3321/2012, श्रेणी–द्वितिय) को विभागीय डिबार सूची से विमुक्त करने हेतू अनुशंसा प्राप्त हुआ।

अभ्यावेदनों के समीक्षोपरान्त पाया गया कि **मुख्य अभियंता–3** , ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल **मुजफ्फरपुर**, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल **मुजफ्फरपुर पश्चिमी** के उक्त पत्रों के द्वारा **प्राप्त प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कार्य पूर्ण है।**

इसलिए इनके अभ्यावेदनों को मान्य करते हुए पत्रांक–09 अनु0, दिनांक 04.01.2016 के द्वारा निर्गत किये गये डिबार सूची के **क्रमांक–145** से संवेदक ओम प्रकाश सिंह, पता–हांसी मलाही, पो0–हांसी केवल, जिला–वैशाली (निबंधन संख्या–3321/2012, श्रेणी–द्वितिय) का नाम विलोपित करते हुए इन्हें डिबार सूची से मुक्त किया जाता है।

13/04/16

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–45/2016 4621 पटना, दिनांक– 13.04.16

प्रतिलिपि–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल/सभी परियोजना प्रबंधक,ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

13/04/16

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

895 (30)

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–45/2016 4621/ पटना, दिनांक– 13.04.16

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार,पटना को **सूचनार्थ प्रेषित।**

13/04/16

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–45/2016 – 4621 पटना, दिनांक– 13.04.16

आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

13/04/16

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–45/2016 4621 पटना, दिनांक– 13.04.16

प्रतिलिपि– संवेदक ओम प्रकाश सिंह, पता–हांसी मलाही, पो0–हांसी केवल, जिला–वैशाली (निबंधन संख्या–3321/2012, श्रेणी–द्वितिय) **को सूचनार्थ प्रेषित।**

13/04/16

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

5606

40

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

कार्या० आ०सं०– 14/अ0प्र0–01–28/2016 4622 पटना, दिनांक– 13.05.16

विभागीय पत्रांक–8503, दिनांक 30.07.2013 द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया था कि वैसे संवेदक जिनके द्वारा किसी आवंटित कार्य में कार्य समाप्ति की तिथि के बाद भी final completion की शर्तों के अनुसार एकरारनामा राशि का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण नहीं किया गया हो या कार्य छोड दिया गया हो, उनसे कारणपृच्छा की जाय एवं समीक्षोपरान्त दोषी पाये जाने पर उन्हें डिबार करने की अनुशंसा की जाय।

इस संबंध में संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–09, दिनांक 04.01.2016 के द्वारा एकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन के आलोक में संवेदक श्री अमरनाथ झा, ग्राम–किशनपुर, जिला–दरभंगा (निबंधन संख्या–315/2009, श्रेणी–प्रथम) को आगे की निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया था।

इस संदर्भ में मुख्य अभियंता–3 , ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक 598 अनु0, दिनांक 16.02.2016, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल दरभंगा के पत्रांक–175 अनु0, दिनांक–10.02.2016, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपुर के पत्रांक–134 अनु0, दिनांक 27.01.2016 द्वारा श्री अमरनाथ झा, ग्राम–किशनपुर, जिला–दरभंगा (निबंधन संख्या–315/2009, श्रेणी–प्रथम) को विभागीय डिबार सूची से विमुक्त करने हेतू अनुशंसा प्राप्त हुआ।

अभ्यावेदनों के समीक्षोपरान्त पाया गया कि मुख्य अभियंता–3 , ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल दरभंगा, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपुर के उक्त पत्रों के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कार्य पूर्ण है।

इसलिए इनके अभ्यावेदनों को मान्य करते हुए पत्रांक–09 अनु0, दिनांक 04.01.2016 के द्वारा निर्गत किये गये डिबार सूची के कमांक–179 से श्री अमरनाथ झा, ग्राम–किशनपुर, जिला–दरभंगा (निबंधन संख्या–315/2009, श्रेणी–प्रथम) का नाम विलोपित करते हुए इन्हें डिबार सूची से मुक्त किया जाता है।

ह0/– 13/05/16

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–28/2016 4622 पटना, दिनांक– 13.05.16

प्रतिलिपि–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल/सभी परियोजना प्रबंधक,ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

ह0/– 13/05/16

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

(893) ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–28/2016 4622 (18) पटना, दिनांक– 13.04.16

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार,पटना को **सूचनार्थ प्रेषित।**

13/04/16

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–28/2016 4622 पटना, दिनांक– 13.04.16

आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

13/04/16

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–28/2016 4622 पटना, दिनांक– 13.04.16

प्रतिलिपि– संवेदक श्री अमरनाथ झा, ग्राम–किशनपुर, जिला–दरभंगा (निबंधन संख्या–315/2009, श्रेणी–प्रथम)को **सूचनार्थ प्रेषित।**

13/04/16

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

40